होली की रंगारंग शुभकामनाएं...

जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

इंदौर, बुधवार, 12 मार्च 2025

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

वर्ष -12, अंक-11

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

मेट्रो की सफलता में अभी से संदेह

किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है पार्किंग का प्रावधान

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट इंदौर में शुरू हो उसके पहले ही इस प्रोजेक्ट की सफलता पर संदेह के बादल उमडने लगे हैं। इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में जहां भी मेट्रो स्टेशन रखा गया है वहां पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की सफलता पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है।

दिल्ली में मेट्रो रेल को जो सफलता मिली वह पूरे देश में आदर्श बन गई। दिल्ली में मेट्रो रेल के सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर हर रेलवे स्टेशन पर बड़ा पार्किंग एरिया विकसित किया गया है। मेट्रो में सफर करने वाले लोग अपने वहां से स्टेशन तक आते हैं। स्टेशन पर इस वाहन को पार्क कर देते हैं। फिर यह लोग मेट्रो रेल में बैठकर आगे के सफर पर रवाना हो जाते हैं। इन नागरिकों को मेट्रो के स्टेशन पर जो पार्किंग की सुविधा मिली उस सुविधा ने ही मेट्रो की सफलता की कहानी लिख दी।

निश्चित निश्चित तौर पर इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की सफलता वाहनों की पार्किंग की सुविधा पर ही निर्भर करती है। यदि पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाए और यह अपेक्षा की जाए कि नागरिक अपने घर से निकलकर पैदल मेट्रो स्टेशन तक आएगा और फिर मेट्रो में बैठकर अपनी इच्छा के अनुसार गंतव्य तक जाएगा। तो यह अपेक्षा बेईमानी रहेगी। इस बात को दिल्ली मेट्रो की जब प्लानिंग की गई थी उस समय पर समझ लिया गया था। यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो ने सफलता का अपना एक कथानक लिख दिया है।

इस कथानक से प्रभावित होकर अब मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। इन दोनों शहरों में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर इस रेल का संचालन इसी माह के अंत में या अगले महीने के प्रारंभ में शुरू किया जा रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली नई जानकारी निकलकर सामने आई है। इस जानकारी के अनुसार इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल की प्लानिंग करने में बड़ी चूक कर दी गई है। दोनों शहरों में किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास में पार्किंग का स्थान नहीं बनाया गया है। ऐसे में इन दोनों शहरों मे मेट्रो का संचालन शुरू होने के बाद भी उसका सफल हो पाना संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है।

कलेक्टर बोले यह गंभीर मामला

इस मामले में जब कलेक्टर आशीष सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि यह गंभीर मामला है। शहर में वैसे भी पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है। इस समस्या का समाधान करने की दिशा में बहुत कोशिश की जा रही है। मेट्रो रेल के रूप में लोक परिवहन की नई व्यवस्था को लाया जा रहा है। कैसे में रेल से सफर करने वाले यात्रियों के वहां की पार्किंग की व्यवस्था करना भी जरूरी है। इस बारे में मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों से चर्चा कर यह समझ जाएगा कि कहां पर क्या किए जाने की आवश्यकता है।

इंदौर की मेट्रो फिर लेट लतीफ का शिकार

राज्य सरकार के द्वारा इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल का काम एक साथ शुरू किया गया था। इसके साथ ही सरकार के द्वारा दोनों स्थानों पर काम को पूरा करने और प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो रेल का संचालन शुरू करने के लिए भी अवधि का निर्धारण कर दिया गया था। वैसे तो दोनों ही शहरों में काम विलंब का शिकार हुआ है। फिर भी भोपाल के मुकाबले में इंदौर में यह विलंब ज्यादा है। अब भोपाल में तो मेट्रो रेल के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर संचालन की तारीख भी निश्चित कर दी गई है। इसके मुकाबले में इंदौर में स्थिति यह है कि अभी सभी स्टेशन भी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन आगे बढ़ने की स्थिति में आ गया है।

राइजिंग इंदौर अब risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

BRTS तोड़ने में किसी को जल्दी नहीं

जब तक बीआरटीएस नहीं टूटता है तब तक दूसरे वाहनों को अनुमति देने में भी रुचि नहीं

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा भी अपनी मंजूरी की मोहर लगा दिए जाने के बावजूद इंदौर के बीआरटीएस को तोड़ने में किसी को कोई जल्दी नहीं है। जब तक इस तोड़ा नहीं जाता है तब तक बस लेन में दूसरे वाहन चलाने की अनुमति देने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा तक बना हुआ बीआरटीएस नागरिकों के लिए समस्याओं का कारण रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो इस पूरे क्षेत्र में लोगों को आने-जाने में गाड़ी चलाने की जगह नहीं मिलने की रही है। इस समस्या का कारण यह है कि सड़क के बीच में बसों के आने-जाने के लिए एक स्थान आरक्षित कर दिया गया है। चाहे बस आए या नहीं आए लेकिन उस स्थान पर दूसरी गाड़ियों का संचालन करने की अनुमति नहीं है। इस स्थिति के कारण ही बीआरटीएस कॉरिडोर वाले क्षेत्र में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब तक तो सरकार इस परेशानी को जानकर भी अनजान बनी हुई थी। सरकार के द्वारा इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही थी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ध्यान इस समस्या की तरफ गया और उन्होंने एक झटके में भोपाल की तरह इंदौर से भी बीआरटीएस हटाने की घोषणा कर दी। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहले से ही एक याचिका लगी हुई थी। इस याचिका के लगे होने के कारण मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद इंदौर में बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू नहीं हो सका। जब उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई की तिथि आई और वहां पर सरकारी वकील के द्वारा राज्य सरकार की मंशा को रखा गया। इस पर न्यायालय के द्वारा भी इंदौर से बीआरटीएस हटाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी गई।

इसके बाद में इंदौर के नागरिक यह उम्मीद कर रहे थे कि अब तेजी के साथ बीआरटीएस के कॉरिडोर को हटाने का काम हो जाएगा। नागरिकों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 350 करोड रुपए खर्च कर बनाए गए इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम कब से किस तरह शुरू किया जाना है इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका है। अलबत्ता इंदौर नगर निगम की स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा शिवाजी वाटिका चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर की रेलिंग निकालने का काम शुरू किया गया है जो कि अभी भी चल रहा है।

स्मार्ट सिटी कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांग सिंह का कहना है कि इतने बड़े कॉरिडोर को निकालना हमारे लिए सीधे तौर पर संभव नहीं है। इसके लिए आने वाले दिनों में टेंडर जारी किया जाएगा। फिर जो फर्म टेंडर भरेगी उसमें से फर्म का चयन कर उसे इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम सौंपा जाएगा। टेंडर कब जारी होगा यह अभी भी निश्चित नहीं है। इस स्थिति को देखकर यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की किसी को कोई जल्दी नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने यह मामला स्मार्ट सिटी कंपनी और सिटी बस कंपनी पर छोड़ दिया है।

इसके साथ ही जब तक बीआरटीएस नहीं तोड़ा जाता है तब तक इस कारीडोर में बस लेन में अन्य वाहनों को भी चलने की अनुमति देने के लिए आवाज उठी। इस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। यह विचार करने का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि इस कारीडोर के मामले में किसी को कोई जल्दी नहीं है।

टोरी कॉर्नर गैर के लिए कलेक्टर ने दिए 2 लाख

केवल कांग्रेसी गैर संचालक के सामने थी आर्थिक समस्या

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने टोरी कॉर्नर की गैर निकालने के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में जिला प्रशासन की ओर से 200000 की राशि मंजूर की है। इस राशि का चेक भी हाथों-हाथ बनकर तैयार हो गया।

पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में रंग पंचमी के पर्व पर परंपरागत रूप से इंदौर से निकलने वाली गैर के लिए गैर संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हमेशा की तरह गैर को समय पर निकालना, निश्चित क्रम के अनुसार ही गैर निकालना, गैर में होने वाली अभद्रता को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान गैर संचालकों के द्वारा भी अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी गई। इसी क्रम में टोरी कॉर्नर की गैर के संचालक शेखर गिरी ने कहा कि गैर निकालने में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या आ रही है। जिस तरह से अनंत चतुर्दशी की परंपरा को कायम रखने के लिए आर्थिक सहयोग शुरू किया गया है वैसा ही सहयोग गैर की परंपरा के लिए भी शुरू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। चंदा मिलता नहीं है। उनकी इस समस्या को सुनकर कलेक्टर ने बाकी गैर संचालकों से इस बारे में जानकारी ली। बाकी जितने भी गैर हैं उन सभी के संचालक राजनीतिक तौर पर सत्ता वाली पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। केवल टोरी कॉर्नर एक गैर है जिसके संचालक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। शेष सभी गैर के संचालकों ने कहा कि उनके सामने ऐसी कोई आर्थिक समस्या नहीं है। उनके पास में चंदा भी अच्छा हो जाता है और उन्हें किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

सभी गैर संचालकों की बात सुनने के बाद कलेक्टर के द्वारा तत्काल टोरी कॉर्नर गैर का आयोजन निर्बाध रूप से हो सके इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से 2 लाख की सहायता देने का ऐलान किया गया। इसके बाद कुछ घंटे में ही इस सहायता के लिए चेक भी बनकर तैयार हो गया।

मनीष सिंह ने कराया था सहयोग

कई साल पहले जब इंदौर में मनीष सिंह कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय पर रंग पंचमी की गैर के संचालकों के द्वारा उनके समक्ष अपनी आर्थिक समस्या को रखा गया था। इस पर तत्कालीन कलेक्टर ने गैर शासकीय तौर पर इन सभी गैर संचालकों को 50-50 हजार रुपए की मदद करवाई थी। कल भी जब टोरी कार्नर की ओर से आर्थिक समस्या का मुद्दा उठाया गया तो सभी को लगा था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा 50000 रुपए की मदद मिल जाएगी। इस बार अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा हाथों-हाथ जोरदार मदद शासकीय तौर पर ही मंजूर कर दी गई। ऐसे में अब यह लग रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कोई और गैर संचालक भी कलेक्टर के पास मदद की गुहार लेकर पहुंच जाए।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

चार लाख करोड़ के पार जाएगा बजट

12 मार्च को जारी होगा एमपी का बजट, वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट

मध्यप्रदेश का बजट विधानसभा में 12 मार्च को जारी किया जाएगा। इस बार मप्र सरकार ने एक नई पहल करते हुए बजट-पुस्तिका के साथ क्यूआर कोड भी जारी करने का निर्णय लिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सरकार की आमदनी, खर्च और विभागों को मिलने वाली धनराशि के आंकड़े मोबाइल पर देखे जा सकेंगे।

वित्त विभाग ने इस बार बजट की ई-बुक तैयार की है, जो क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल फोन में दिखेगी। आम लोग इस ई-बुक को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव भी कर सकेंगे। क्यूआर कोड बजट जारी होने से एक दिन पहले सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण समाप्त होते ही क्यूआर कोड सभी की पहुंच में होगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 12 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसके अलावा, 11 मार्च को 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जो 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा।

विधानसभा के 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होंगी

विधानसभा का 15 दिनों का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो गया। इस सत्र में कुल 9 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और 12 मार्च को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन में सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के आगमन, अभिभाषण और बजट पेश करने के दिन की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और अधिकारियों से जानकारी ली।

त्योहारों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण सत्र की तारीख बदली

इस सत्र के दौरान होली और रंगपंचमी जैसे त्योहार पड़ेंगे। वहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण बजट सत्र की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाई गई, जिस पर कांग्रेस पहले ही विरोध जता चुकी है।

सीएम ने दिए तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश

बैठक में सीएम यादव ने कहा कि प्रश्नों और ध्यानाकर्षण आदि के जवाब तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से दिए जाएं। उन्होंने लंबित शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पंद्रह दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होंगी और इस सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत होना संभावित हैं।

विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

विधानसभा सत्र के चलते विधानसभा और उसके आसपास जुलूस-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश 24 मार्च तक प्रभावी रहेगा। विधानसभा से राजभवन, सीएम निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन, राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, मैदा मिल, बोर्ड ऑफिस चौराहा, सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन, नीलम पार्क जहांगीराबाद, शाहजहांनी पार्क तलैया, आंबेडकर पार्क टीटी नगर, चिनार पार्क वाले रास्तों पर सख्ती रहेगी।

महू में उपद्रव करने वाले 17 आरोपी पहचाने गए

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान महू में उपद्रव करने वाले 17 आरोपियों की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर ली है। उनमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पथराव और आगजनी की घटना में शामिल थे। कुछ आरोपियों पर रासुका के तहत एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है। महू में फैले तनाव के बाद सर्व हिंदू समाज ने सोमवार को महू बंद की घोषणा की थी। जिस इलाके में तनाव हुआ था, वहां तो पूरी तरह बंद का असर देखा गया। इक्का-दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे थे। महू के दूसरे क्षेत्रों में बंद का मिला-जुला असर नजर आया। दुकानें व अन्य संस्थान बंद रहे, लेकिन सब्जीमंडी खुली थी। रविवार रात हुए उपद्रव में 20 से ज्यादा दोपहिया वाहन जले हैं, जबकि छह कारों के कांच फोड़े गए हैं। तीन दुकानों में आग लगाने की कोशिश की गई। मुख्य मार्ग पर चूड़ी की एक दुकान पर जमकर पथराव हुआ।

ड्रोन से रखी जा रही नजर

पत्तीबाजार और कोतवाली क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। जिस जगह से उन्मादी भीड़ ने पथराव शुरू किया था। वहां मुख्य मार्ग पर बेरिकेड लगा दिए गए है। आने जाने वालों की पुलिस तलाशी ले रही है। पुलिस यहां ड्रोन से भी नजर रख रही है, ताकि छतों पर छुपाकर रखे गए पत्थर व अन्य हथियार का पता लगाया जा सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच कराई जा रही है। अब स्थिति नियंत्रण में है।

इंदौर से पुलिस बल भेजा

महू में सोमवार को हालात सामान्य हुए लेकिन इंदौर से भी पुलिस बल सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर भेजा गया है। सुबह और शाम के समय पुलिस ने क्षेत्र में गश्त भी की। चार से ज्यादा लोगों को खड़े नहीं रहने दिया जा रहा था। दिनभर तो शहर के ज्यादातर बाजार बंद रहे, लेकिन शाम के समय दूध, दवाई किराने की दुकानें खुली नजर आई।

संपादकीय...

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कमियां दूर करें

भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर और भोपाल में क्रियान्वित किया जा रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का काम पूरा होने की घड़ी करीब आ गई है। अब जल्द ही दोनों शहरों में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो रेल चलती हुई नजर आएगी। इस रेल का संचालन शुरू होने से पहले इसकी जो कमियां उभरकर सामने आ रही हैं उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि इन कमियों

■ गौरव गुप्ता

को नजरअंदाज किया जाता है तो ऐसे में आगे मेट्रो रेल का पूरा प्रोजेक्ट बिगड़ सकता है। एक बार यदि मेट्रो रेल वाइबल नहीं हुई तो फिर पूरे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आगे का क्रियान्वयन करने के बजाय उभर कर सामने आ रही कमियों पर ध्यान दिया जाए। इन कमियों को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। भविष्य में मेट्रो को शहर में फेल होने से बचने की पटकथा अभी से लिखी जाए।

होली के त्योहार पर सेहत को नजरअंदाज ना करें

होली का त्योहार हर साल देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का यह त्योहार काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन त्योहारों के बीच अक्सर खानपान में लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ जाती है। आप डॉक्टर आरती मेहरा द्वारा बताई गई इन टिप्स से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

देशभर में इन दिनों रंगों के त्योहार होली की धूम मची हुई है। लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए जमकर तैयारियां कर रहे हैं। होली हिंदू धर्म का एक अहम पर्व है, जिससे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 14 मार्च को इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसे में हर कोई इस त्योहार के जश्न की तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन अक्सर त्योहारों के बीच लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।

दरअसल, त्योहारों के बीच लोग खाने-पीने को लेकर काफी लापरवाही करते हैं। ऐसे में लगातार तला-भुना खाने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन अगर आप होली के त्योहार में खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन टिप्स की मदद से आप रंगों का यह त्योहार खुशनुमा और सुरक्षित बना सकते हैं।

होली के त्योहार में ऐसे रखें अपने खाने-पीने का ख्याल

1. अगर होली के जोश में आपने भी भर-भर कर गुजिया और मालपुआ खा लिए हैं, तो इसका गिल्ट ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप त्योहार में भले ही कितना व्यस्त क्यों ना हों, त्योहार के बीच अपने वर्कआउट का शेड्यूल ना बिगड़ने दें। कोशिश करें कि त्योहार की भागदौड़ के बीच भी आप वर्कआउट के लिए 20 मिनट का समय जरूर निकालें।
2. होली का त्योहार अक्सर मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। इस महीने में मौसम बदलने की वजह से इसका हमारी सेहत पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप त्योहार के इस मौसम में खुद को अच्छे से हाइड्रेट रखें। इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करते रहें। साथ ही नारियल पानी, तरबूज का जूस छाछ, शिकंजी गन्ने का रसभी आपके लिए फायदेमंद होगा।
3. त्योहारों का मौसम हो और खाने की बात ना हो, तो त्योहार अधूरे से लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत को लेकर फिक्र मंद है, तो कोशिश करें कि इस त्योहार बाहर से मिठाई या स्नैक्स खरीदने की जगह, घर पर ही हेल्दी और स्वादिष्ट पकवान बनाएं। जैसे मखाने की खीर ड्राई फ्रूट लड्डू, खीर, ड्राई फ्रूट सेवइयां शिकंजी ले।
4. कोशिश करें कि त्योहार के दौरान आप हैवी खाना कम खाएं। वहीं, अगर ज्यादा हैवी खा लिया है, तो इसकी भरपाई करने के लिए वेजिटेबल सूप, फ्रूट सैलेड या सिर्फ दाल खा सकते हैं। साथ ही दही या छाछ के सेवन से आप अपने पाचन को भी दुरुस्त रख सकते हैं।

कुछ विशेष टिप्स की मदद से रखें खानपान का ख्याल

5. होली के दिन लोग अक्सर रंगों और गुलाल से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जश्न मनाते समय कई लोग रंगों वाले हाथों से ही खाना खा लेते हैं। इसकी वजह से कई बार फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि त्योहार के दिन कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं।
6. केमिकल रंगों से बचे-होली खेलते समय हमेशा केमिकल युक्त रंगों से बचना चाहिए और पौधों पर आधारित या पर्यावरण के अनुकूल रंगों से खेलना चाहिए। केमिकल युक्त रंग न केवल जहरीले होते हैं, बल्कि त्वचा को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें धोना और साफ करना भी मुश्किल होता है।
7. प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें- आप घर पर ही फूलों, पत्तियों, फलों के छिलकों या छिलकों और अन्य खाद्य सामग्री से अपने खुद के प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, गेंदा, हल्दी पाउडर, बेसन, अनार के छिलके, चुकंदर, मेहंदी के पत्ते आदि का इस्तेमाल जैविक रंग बनाने के लिए किया जाता है।
8. त्वचा को मॉइश्चराइज करें-रंगों के प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादातर लोग जो एक आम तरकीब अपनाते हैं, वह है होली खेलने जाने से पहले अपनी त्वचा पर थोड़ा सरसों का तेल लगा लेना। त्वचा पर तेल की यह पतली परत बाद में ज़्यादा रगड़े बिना, त्वचा से रंग को आसानी से छुड़ाने में मदद करती है।

अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा कनाडा

नई दिल्ली। कनाडा कभी भी, किसी भी तरह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा.. डोनाल्ड ट्रंप को लगता कि बांटो और राज करो की अपनी योजना से हमें कमजोर कर सकते हैं। ये काले दिन ऐसे देश ने लाए हैं जिस पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते।

ये शब्द हैं मार्क कार्नी के जो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने की दौड़ जीत ली है। 59 साल के कार्नी आने वाले कुछ दिनों में प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

तो मार्क कार्नी का अमेरिका और ट्रंप को लेकर ऐसा तीखा रुख क्यों है? कनाडा के पीएम की कुर्सी पर कार्नी का आना भारत के लिए कैसी खबर है, भारत को लेकर कार्नी का स्टैंड जस्टिन ट्रूडो से कितना अलग है? इस एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं।

कनाडा में आम चुनाव नहीं हुए तो कार्नी पीएम कैसे बनने जा रहे?

यहां ख्याल रहे कि कनाडा में कोई पीएम के चुनाव के लिए आम चुनाव नहीं हुए हैं। नौ साल तक पीएम रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में पद से इस्तिफा दे दिया था।? इसके बाद पार्टी के नए लीडर के लिए चुनाव हुए हैं। चुंकि पार्टी के पास ही बहुमत है, तो नया लीडर ही पीएम बनेगा और लीडर का यह चुनाव मार्क कार्नी ने जीत ली है।

दान द्वारा संपत्ति का अंतरण कैसे होता है

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 122 केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच ही दान द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रावधान है। इसके अनुसार दान के निम्नलिखित वैधानिक शर्तें हैं दान में प्रतिफल की अनुपस्थिति होना चाहिए और पक्षकारदाता एवं आदाता दान को विषयवस्तु दाता द्वारा आदाता के पक्ष में सम्पत्ति का स्वैच्छिक अन्तरण किया जाना चाहिए आदाता द्वारा दान की स्वीकृति प्रतिफल की अनुपस्थिति कोई भी विधिक संविदा प्रतिफल के बगैर अप्रवर्तनीय मानी जाती है। दान का संव्यवहार भी एक प्रकार की संविदा है, किन्तु यह साधारण संविदा से भिन्न है। इसे प्रतिफल से रहित रखा गया है। वस्तुतः यह स्वेच्छा से किया गया अन्तरण है जिसमें दूसरे पक्षकार की सम्पत्ति पहले से अभिव्यक्त नहीं होती है, अपितु दान की विषयवस्तु को स्वीकार करने से ही उसकी सम्मति प्राप्त होती है। स्वेच्छा से वस्तु का एक दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण यह दान की प्रथम शर्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि दाता सक्षम हो समर्थ हो दान के रूप में वस्तु का अन्तरण करने के लिए। स्वेच्छा से अभिप्राप्त है संविदा को शून्य करने वाले तत्वों जैसे कपट मिथ्याव्यपदेशन, प्रपोड़न इत्यादि का अभाव होना चाहिए। दाता या अन्तरणकर्ता अपनी इच्छा, मर्जी से बिना किसी जोर या दबाव के दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित करता है। इस संव्यवहार या संविदा को इसलिए प्रतिफल रहित माना गया है, क्योंकि अन्तरण द्वारा सम्पत्ति या वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई प्रस्ताव इस आशय का नहीं करता है और न हो जा सम्पत्ति या वस्तु पाने की अपेक्षा रखता है। अन्तरक स्वयं यह निर्णय लेता है कि यह अपनी सम्पति या वस्तु किसे देगा, कब देगा और कैसे देगा।

प्रतिफल क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसके न होने का क्या प्रभाव होता है? कब यह वैध या विधिसम्मत होता है और कब नहीं? इन तमाम प्रश्नों का निर्धारण संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (4) 23 एवं 25 के आधार पर किया जाता है। दान के माध्यम से सम्पत्ति अन्तरित करने को विधि द्वारा मान्यता देकर दाता अथवा अन्तरक के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है कि वह एक अन्य रूप में भी अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ है। एक कानूनी विश्लेषण दान के संव्यवहार में दाता किसी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है। उसका उद्देश्य मात्र आदाता का कुछ देना होता है। यहां इस बात का उल्लेख करना समीचीन है कि दान उपदान सहित हो सकता है और वह वैध होगा, किन्तु यदि सप्रतिफल दान किया गया है, तो ऐसा दान शून्य होगा। उपलक्ष्य सहित दान एवं प्रतिफल दान दोनों ही पृथक-पृथक अवधारणाएं हैं, परन्तु साधारण स्थिति में इनमें विभेद करना कठिन होता है। पर दोनों में अन्तर है। किसी करार में प्रतिफल न होने से संविदा शून्य हो जाएगी, परन्तु दान में प्रतिफल होने से दान का संव्यवहार शून्य हो जाएगा। परन्तु उपलक्ष्य का प्रभाव करार पर नहीं पड़ता है। उपलक्ष्य कैसा भी रहा हो संव्यहार का विधिक अस्तित्व अप्रभावित रहता है। दान दाता को उदारता का परिचायक होता है। दान के मामले में यहां प्रतिफल का अस्तित्व माना जाएगा जहां दाता के किसी दायित्व की पूर्ति हो रही हो।

उदाहरणार्थ दाता के किसी ऋण का भुगतान या उसके किसी हित की सन्तुष्टि या उसे कोई लाभ दान एक ऐसा कृत्य है। या संव्यवहार है जिससे आदाता को लाभ प्राप्त होता है। दाता को केवल तभी लाभ प्राप्त होता है जबकि उसने अपना सब कुछ दान में अन्तरित कर दिया हो। ऐसी स्थिति में आदाता दानकर्ता से उसका सब कुछ प्राप्त कर लेता है एवं सर्वस्व आदाता कहलाता है। दान बिना प्रतिफल के सम्पत्ति का अन्तरण है। यदि संव्यवहार में किसी भी प्रकार का प्रतिफल है तो संव्यवहार दान का संव्यवहार नहीं होगा। सम्पत्ति अन्तरण के बदले यदि यह वचन दिया गया हो कि अन्तरिती अन्तरक के ऋणों का भुगतान कर देगा तो यह वचन एक वैध एवं सारवान प्रतिफल होगा तथा संव्यवहार दान का संव्यवहार नहीं होगा। परन्तु नैसर्गिक स्नेह आध्यात्मिक या नैतिक लाभ इस धारा के अन्तर्गत प्रतिफल नहीं माना जाता है। क्योंकि प्रतिफल से सदैव आशय है मूल्यवान प्रतिफल, जो धन के रूप में हो या धन के रूप में जिसका मूल्यांकन हो सके। अतः आध्यात्मिक लाभ पाने के उद्देश्य से किया गया अतएव प्रतिफल के बदले अन्तरण नहीं होगा। अतः इस प्रकार के अन्तरण को दान माना जाएगा। इसी प्रकार अन्तरिती के पक्ष में भूमि का अन्तरण, इस कारण कि वह अन्तरक की बीमारी की स्थिति में उसकी सेवा करेगा इस उद्देश्य से किया गया अन्तरण दान के रूप में वैध होगा।

यदि एक पति अपनी पत्नी के पक्ष में एक सम्पत्ति इसलिए अन्तरित करता है कि पत्नी उसे मैहर के भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी, क्योंकि अदत्त मैहर एक ऋण के रूप में होता है, तो यह अन्तरण दान के रूप में वैध नहीं होगा यदि अतीत में प्रदत्त की गयी सेवा के एवज में एक दान विलेख निष्पादित किया जाता है, किन्तु वह भविष्य में प्रभावी होने को है तो ऐसे अन्तरण को प्रतिफल के एवज में किया गया नहीं माना जाएगा। पक्षकार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित अन्तरण के अन्य प्रकारों में जिस प्रकार दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दान के मामले में भी दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति जो सम्पत्ति अन्तरित करता है दाता कहलाता है तथा जिस व्यक्ति के पक्ष में सम्पत्ति अन्तरित होती है आदाता कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधितः सक्षम हो संविदा करने के लिए अपनी सम्पत्ति दान के रूप में अन्तरित कर सकेगा। एक अवयस्क अर्थात् जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, संविदा करने हेतु अर्ह नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया दान वैध नहीं होगा। इसी प्रकार एक न्यासी जब तक कि न्यास की शर्तों के अन्तर्गत दान करने हेतु उसे प्राधिकृत न किया गया हो, न्यास सम्पत्ति, दान के रूप में अन्तरित नहीं कर सकेगा। वयस्क होने के साथ-साथ दाता का स्वस्थचित्त का होना भी आवश्यक है। वह किसी विवशता या अक्षमता का शिकार न हो जैसे दिवालिया न हो, दान में दी जाने वाली सम्पत्ति का स्वामी हो या सम्पत्ति के असली स्वामी द्वारा अन्तरण हेतु प्राधिकृत हो दान का दूसरा पक्षकार होता है आदाता अर्थात् वह व्यक्ति जिसके पक्ष में सम्पत्ति अन्तरित की जाती है या वह व्यक्ति जिनके पक्ष में सम्पत्ति अन्तरित की जाती है तथा जो उसे स्वीकार करता है या स्वीकार नहीं करता है। यह आवश्यक है कि आदाता अभिनिश्चित व्यक्ति होने चाहिए। यदि वह या वे अभिनिश्चित नहीं है तो इस धारा के उपबन्ध ऐसे अन्तरण पर प्रभावी नहीं होंगे।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

दान के द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण नैसर्गिक जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में सम्पति का अन्तरण हो सकेगा या विधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में हो सकेगा। अतः दान द्वारा सम्पति का अन्तरण एक मूर्ति के पक्ष में हो सकेगा, क्योंकि मूर्ति, हिन्दू विधि के अनुसार एक विधिक व्यक्ति है। वह सम्पत्ति धारण करने के लिए अर्ह मानी गई है यद्यपि मूर्ति द्वारा सम्पत्ति का धारण किया जाना केवल एक आदर्श रूप में ही होता है। मूर्ति को भांति मठ भी एक विधिक व्यक्ति है जो सम्पत्ति धारण करने के लिए अर्ह एवं सक्षम है। दान द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप में उत्तर जीवित के अधिकार के साथ किया जा सकेगा तथा अन्तरण वैध होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही सम्पत्ति अपने पक्ष में अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु अन्तरित करता है तो ऐसा संव्यवहार दान का संव्यवहार होगा। एक पवित्र हिन्दू साधारणतया अपनी सम्पत्ति किसी एक मूर्ति या प्रतिमा के पक्ष में अन्तरित कर देता है तथा उक्त सम्पत्ति के अपने सभी अधिकारों का परित्याग कर देता है। इसे मौखिक रूप में ही प्रभावी बनाया जा सकता है, किन्तु यदि इस आशय का कोई लिखित दस्तावेज है, तो इसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा यदि अ अपनी सम्पत्ति दान दिलेख द्वारा ब के पक्ष में, जिसे यह अपने दत्तक पुत्र रूप में प्रस्तुत करता है, निष्पादित करता है पर यह साबित नहीं हो पाता है कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी तो ऐसा दान प्रभावी नहीं होगा। दान द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए आदाता का वयस्क होना आवश्यक नहीं है। अवयस्क आदाता के एवज में उसके नैसर्गिक संरक्षक दान स्वीकार कर सकेंगे, किन्तु यदि दान दुर्भर प्रकृति का दान है तो दायित्व या प्रभार अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होंगे उसको अवयस्कता के दौरान। परन्तु वयस्क होने पर आदाता को यह विकल्प होगा कि वह या तो दायित्वों, प्रभारों को स्वीकार करे अथवा दान की विषयवस्तु वापस कर दे। गर्भस्थ शिशु भी आदाता हो सकेगा। जहां दान अवयस्क आदाता के संरक्षक द्वारा स्वीकार किया जाता है, संरक्षक दान विलेख पर अपना हस्ताक्षर करके अथवा अंगूठे का निशान लगाकर अपनी स्वीकृति अभिव्यक्त कर सकता है। दान की विषयवस्तु सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 122 स्थूल या मूर्त वस्तुओं के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रावधान प्रस्तुत करती है। अतः चल एवं अचल अथवा जंगम या स्थावर दोनों हो प्रकार की सम्पत्तियां दान की विषयवस्तु होती हैं। दान द्वारा अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए- वह सम्पत्ति अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अन्तरणीय हो। वह सम्पत्ति वर्तमान में हो, भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का दान शून्य होगा, क्योंकि दान तुरन्त या वर्तमान में प्रभावी होने वाला संव्यवहार है। अतः दान के समय वस्तु का अस्तित्ववान होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ भविष्य में उगने वालो फसलों का दान शून्य होगा। भविष्य में क्रय की जाने वाली भूमि का दान शून्य होगा। यदि दान की विषयवस्तु वर्तमान में विद्यमान हैं तो दान किस तिथि से प्रभावी होगा, यह बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं होगा। दाता चाहे तो अन्तरण को तुरन्त की तिथि से प्रभावी बनाये या भविष्य को किसी तिथि से प्रभावी बनाये या भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर रखे। यदि दान की विषयवस्तु स्थूल या मूर्त नहीं है तो अन्तरण वैध नहीं होगा। उदाहरणार्थ यदि किसी प्रतिमूर्ति को बिना प्रतिफल के आदाता के पक्ष में निहित कर दिया जाए तो इसे हम साधारणरूप में दान कह सकेंगे, किन्तु विधिक अर्थ में यह दान नहीं होगा क्योंकि दान की विषयवस्तु अमूर्त है, जबकि इस धारा के अन्तर्गत केवल मूर्त वस्तु का ही दान हो सकेगा। दान की विषयवस्तु यदि अस्पष्ट प्रकृति की है तो ऐसी वस्तु का भी दान नहीं हो सकेगा। धर्म या पुण्यकार्य हेतु सम्पत्ति का दान वैध नहीं होगा, क्योंकि दान को विषयवस्तु संदिग्ध प्रकृति की है। जबकि गरीबों को खाना खिलाने हेतु सम्पत्ति का दान वैध होगा। दान की विषयवस्तु साधारणतया मूर्त वस्तुएं ही होती हैं किन्तु वासुदेव बनाम प्राणलाल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया कि शेयर सॉफिकेट, रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक द्वारा हस्ताक्षरित रिक्त अन्तरण प्रपत्र का क्रेता को रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक द्वारा सौंपा जाना इस बात का प्रमाण है कि क्रेता शेयरों में पूर्ण हित या स्वत्व प्राप्त नहीं करता है। उसे केवल कम्पनी के रजिस्टर में स्थान पाने का अधिकार मिलता है। रजिस्टर में स्थान पाने का अधिकार मात्र वाद संस्थित करने का अधिकार है, फिर भी यह अधिकार मात्र विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत एक उत्तम अधिकार है और यह अधिकार अन्तरितों के पक्ष में उस समय पूर्ण हो जाएगा जब वह सम्यक् रूप में प्रमाणित एवं रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा। विद्यमान सम्पत्ति एक वैध दान का सृजन करने के लिए यह आवश्यक है कि दान को विषयवस्तु तत्समय विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में दान की विषयवस्तु निश्चित हो चल या अचल सम्पत्ति के रूप में यथा भूमि, माल, अनुयोज्य दावा इत्यादि। सम्पत्ति, इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अन्तरणीय हो। यदि अन्तरण की विषयवस्तु मुद्रा, रकम या धन है जिसका उल्लेख लेखा पुस्तिका में हुआ है तो दान में दी जाने वाली रकम का अन्तरण की तिथि का खाते में होना आवश्यक होगा तथा अन्तरण क्रेडिट एवं डेबिट के माध्यम से होगा। ऐसा अन्तरण समायोजन के मध्यम से भी हो सकेगा, पर यदि अन्तरण एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसका बैंक में खाता नहीं है तो वैध अन्तरण तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि कथित रकम तत्समय उपलब्ध न हो। किसी भी ऐसी वस्तु का दान नहीं हो सकेगा जो भविष्य में अस्तित्व में आने वाली हैं, जैसे सम्पत्ति के भावी राजस्व का दान। दान की विषयव का दाता द्वारा स्वैच्छिक तरण दान द्वारा अन्तरण को वैध होने के लिए आवश्यक है कि दाता अन्तरण को विषयवस्तु का स्वैच्छिक रूप में या स्वेच्छ या अन्तरण करे। स्वेच्छया शब्द को सामान्य रूप में यहां प्रयुक्त किया गया है। इससे तात्पर्य है अबाधित स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए दान की विषयवस्तु का अन्तरण उसे तकनीकी रूप से प्रतिफल रहित के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। जब दान का सृजन होता है तो सन्तोषजनक रूप में यह प्रकट होना चाहिए कि दाता को ज्ञात था कि वह क्या कर रहा है तथा वह दस्तावेज के तथ्यों को भलीभांति समझता था एवं उनके प्रभाव के भी तथा उस पक्षकार द्वारा जिसके पक्ष में दान किया गया है, दाता पर किसी प्रकार के अनुचित प्रभाव, बल या उत्पीड़न का प्रयोग नहीं किया गया था कब्जे की अदायगी से, दाता की सम्मति परिलक्षित होती है। लेकिन जहां दान अन्तःकरण विरुद्ध नहीं हैं, पर उसे चुनौती दी जाती है इस आधार पर कि उक्त दान के सृजन में असम्यक् प्रभाव का प्रयोग हुआ था तो यह साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा जो दान को चुनौती दे रहा है, कि आदाता ने अपनी स्थिति का प्रयोग किया था दाता से अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से यदि दान असम्यक् प्रभाव एवं दबाव से धूमिल है तो एक निर्दोष तृतीय पक्षकार भी इसका लाभ नहीं उठा सकेगा यदि वह मात्र एक स्वयंसेवक था, पर यदि वह सद्भावयुक्त क्रेता था मूल्यवान प्रतिफल के बदले में, संव्यवहार के उक्त पक्ष की नोटिस के बिना तो ऐसा अन्तरिती उक्त सम्पत्ति को, दाता को वापस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा। यदि दान के पक्षकार एक दूसरे से गोपनीय सम्बन्धों से जुड़े हुए हैं तो दान को तब तक समर्थन नहीं प्राप्त होगा जब तक कि यह दर्शाया न जा सके कि दाता के पास सक्षम एवं स्वतंत्र सलाह मशविरा थी तथा वह अबाधित निर्णय शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में था संपूर्ण संज्ञान के साथ कि वह क्या कर रहा है, तो ऐसे प्रकार में विधि यह साबित करने का सम्पूर्ण भार आदाता पर छोड़ देती है कि संव्यवहार सद्भाव युक्त था। जहां कोई व्यक्ति एक रकम दान के रूप में सरकार को देता है एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए तथा वह प्रयोजन किन्हीं कारण से विफल हो जाता है तो दाता उक्त रकम को वापस पाने का हकदार होगा। यदि दान के संव्यवहार का सृजन एक पर्दानशीन स्त्री के द्वारा किया गया है तो सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो दस्तावेज के अध्यधीन दावा प्रस्तुत करता है कि संव्यवहार वास्तविक है एवं सद्भाव में किया गया है तथा पर्दानशीन स्त्री संव्यवहार की प्रकृति, उसके स्वरूप तथा संव्यवहार के लाभ एवं हानि से भलीभांति परिचित थी। उसे इस बात का भी अवसर प्राप्त था कि वह स्वतंत्र सलाह ले सके तथा वह एक स्वतंत्र व्यक्ति थी एवं उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दान विलेख का निष्पादन किया। यदि दाता एक वृद्ध एवं अशक्त स्त्री है तो यह साबित करने का सशक्त भार आदाता पर होगा कि दान स्वेच्छया निष्पादित किया गया था उस स्त्री द्वारा दस्तावेज के तथ्यों के सम्पूर्ण ज्ञान के साथ तथा उसने ऐसा किसी दबाव के अन्तर्गत नहीं किया न ही किसी प्रभाव के अन्तर्गत ऐसा किया जो अनुचित प्रभाव के दायरे में आये। इसी प्रकार यदि दान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है पढ़ा-लिखा नहीं था साथ ही वृद्ध एवं कमजोर एवं क्षीणकाय था तथा जिसकी दृष्टि कमजोर थी, तो आदाता का यह दायित्व होगा कि वह सन्देह से परे यह साबित करे कि दान के सृजन में किसी असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया था। असम्यक् प्रभाव का असर दान एवं संविदा में एक ही प्रकार का होता है जहां यह पाया जाता है कि दाता अपने कारोबार को पूर्णरूपेण व्यवस्थित कर रही थी, तथा अपना सारा कारोबार खुद चला रही थी तथा न्यायालय एवं रजिस्ट्री कार्यालय भी स्वयं जाती थी वादों के दौरान एवं दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु तो मात्र यह तथ्य कि वह एक बहुत बुजुर्ग स्त्री थी एवं उस पर उम्र के प्रभाव परिलक्षित थे, केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा कि उसके द्वारा निष्पादित दान असम्यक् प्रभाव के अन्तर्गत किया गया था।

मोहन सरकार ने फिर लिया 6 हजार करोड़ कर्ज

राइजिंग इन्दौर
रिपोर्टर

भोपाल। मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को फिर बाजार से छह हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज लिया है। दो-दो हजार करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी।

इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछ्ले वित्त वर्ष से साढ़े चार हजार करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले पच्चीस दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दस दिन बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले मोहन यादव सरकार ने फिर छह हजार करोड़ के कर्ज के लिए नोटिफिकेशन किया है। कर्ज की यह राशि मंगलवार को आक्शन की गई है। अब जो कर्ज बाजार से लिया गया है वह केंद्र सरकार द्वारा तय लिक्विडिटी लिमिट के भीतर बताया जा रहा है।

जीआईएस से पहले लिया था छह हजार करोड़ का कर्ज

पिछ्ले माह 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले मोहन सरकार ने 20 फरवरी को 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तीन अलग-अलग कर्ज 12 साल, 15 साल और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया। इस कर्ज के बाद प्रदेश सरकार का चालू वित्त वर्ष में लिया गया कुल कर्ज 41 हजार करोड़ रुपए हो गया था। इसके पहले वर्ष 2025 के पहले दिन एक जनवरी को सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

चालू वित्त वर्ष में अब तक लिया कर्ज

तारीख	कर्ज राशि	अवधि	भुगतान समय सीमा
20 फरवरी 2025	6 हजार करोड़ (3 कर्ज),	12,15, 18 साल	2037, 2040, 2043
1 जनवरी 2025	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	13 और 22 साल	1 जनवरी 2038, 1 जनवरी 2047
26 दिसंबर 2024	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	20 और 16 साल	2045 और 2041
27 नवंबर 2024	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	20 और 14 साल	2038 से 2044 के बीच।
9 अक्टूबर 2024	3 हजार करोड़ (2 कर्ज)	13 और 18 साल	2035 और 2043
25 सितंबर 2024	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	12 और 19 साल	2037 और 2044
28 अगस्त 2024	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	14 और 21 साल	2039 और 2046
7 अगस्त 2024	5 हजार करोड़ (2 कर्ज)	11 और 21 साल	2036 और 2046

2023-24 में लिए थे 44 हजार करोड़, इस अवधि तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज

मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।

अयोध्या के राम मंदिर के पास अमिताभ ने खरीदी जमीन

बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में जमीन खरीदी है। इसे हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर लिया गया है।

महानायक अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में दो बीघा जमीन खरीदी है। जिसकी कीमत करीब 86 लाख रुपये है। बिग बी इस जमीन पर पिता हरिवंशराय बच्चन के नाम पर मेमोरियल ट्रस्ट बनवाएंगे। राम मंदिर से यह जगह 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। जिसे मुंबई के डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर खरीदा गया है।

राम मंदिर के बेहद नजदीक

मेगास्टार अमिताभ बच्चन की खरीदी जमीन तिहुरा मांझा में स्थित है। यगह जगह राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी है। यहां पहुंचने में 20 मिनट के आसपास का समय लगता है। खबरों की मानें तो बिग बी यहां हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण कराएंगे।

फरवरी में रामलला के दर्शन करने आए थे बिग बी

बता दें कि अमिताभ बच्चन बीते महीने 9 फरवरी को रामनगरी आए थे। यहां राम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। वह हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला हैं। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन के अयोध्या में जमीन खरीदने की खबरें सामने आई थीं।

इस सप्ताह आपके सितारे

12 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025

किसी का मानसिक तनाव कम होगा तो किसी को मिलेगा वाहन सुख

मेष : इस सप्ताह कारोबार अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोग भी संतुष्ट रहेंगे। जीवनसाथी उत्तम सहयोग करेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। किसी कार्य के विलम्ब होने से कष्ट होगा। वाहन सुख मध्यम रहेगा। परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा रहेगा।

वृषभ : किसी व्यक्ति का अचानक सहयोग मिलेगा। वाहन सुख उत्तम। भूमि-भवन संबंधों कोई कार्य होगा। शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। प्रेम-संबंधों में धनात्मकता परिलक्षित होगी। आवक अच्छी रहेगी, व्यय कम होंगे। परिवार में खुशी का अच्छा वातावरण रहेगा। 16 विशेष शुभ

मिथुन : इस सप्ताह शत्रु पीडित करेंगे बेवजह के विवादों से बचें। व्यय-अधिक होगा। आवक ठीक-ठीक रहेगी। कारोबार में संतुष्टि रहेगी। जीवन साथी का व्यवहार भौर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेम-संबंधों में सावधानी रखें। संतानपक्ष कुछ चिंता दे सकता है। यात्रा टालें। दिनांक 14 सावधान रहें।

कर्क : शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह शुभ फलदायी है। भाई-बहनों का व्यवहार ठीक रहेगा। किसी कार्य के हो जाने से हर्ष होगा। संतान भाव अल्प कष्ट कारक रह सकता है। पैसे का व्यवहार सावधानी से करें। कारोबार की दृष्टि से सरह ठीक है। आवक होगी किन्तु व्यय भी होगा।

सिंह : कारोबार की दष्टि से यह सप्ताह श्रेष्ठ है। आवक में वृद्धि होगी। कई दिनों से लंबित कार्य होगा। व्यय कम होने से बचत होगी। संतान पक्ष से कुछ कष्ट हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य और व्यवहार मध्यम रहेगा। रोमांस के लिए समय मध्यम है। माता को कष्ट होगा।

कन्या : स्वयं के शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक नहीं है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में धनात्मकता दिखाई देगी। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग उत्तम रहेगा। प्रेमसंबंध फले फूलेंगे।

तुला : मान प्रतिष्ठा एवं कारोबार की दृष्टि यह समय उत्तम है। अचानक किसी कार्य के सम्पन्न होने के योग हैं। संतान पक्ष कुछ कष्ट दे सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम-संबंध मध्यम रहेंगे। वाहन सुख उत्तम है। कोई विवाद हल होगा।

वृश्चिक : शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। मानसिक तनाव कम होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी को कष्ट हो सकता है। प्रेम-संबंधों में खटास आ सकती है। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। आय अच्छी होगी। कारोबार धनात्मक रहेगा।

धनु : इस सप्ताह आप विशेष रूप से सावधानी से चलावें। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग उत्तम रहेगा। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। परिजनों का सहयोग अच्छा मिलेगा। व्यय अधिक होंगे। संतानपक्ष से कुछ कष्ट संभव है। कार्य क्षेत्र प्रतिकूल घटना संभव है।

मकर : इस सप्ताह मानसिक प्रफुल्लता रहेगी। दूरस्थ शुभ समाचार प्राप्त होगा। कारोबार में उन्नति होगी। संतान पक्ष अवश्य पीड़ा देगा प्रेम संबंधों में धनात्मकता दिखाई देगी। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा रहेगा। लाभ के नवीन आयाम दिखाई देंगे। वाहन में सुधार अथवा भूमि संबंधी कार्य होगा।

कुम्भ : इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। कारोबार मध्यम रहेगा। मित्रों का वांछित सहयोग नहीं मिलेगा। शत्रु सिर उठा सकते हैं। लाभ सीमित होंगे। व्यय ज्यादा होगा। माता का स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। किसी होने वाले कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। संतान संबंधी कोई कार्य पक्ष में होगा।

मीन : इस सप्ताह कोई रुके हुए कार्य के होने से खुशी होगी। तनावों में कमी आएगी। भूमि वाहन संबंधी कोई कार्य होगा। शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यय अधिक होंगे। किसी को कुछ धन उधार भी देना पड़ सकता है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेम संबंध पीड़ित कर सकते हैं। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

- **सूर्य** - कुंभ में 15 से मीन में ▪ **चंद्र** - सिंह से तुला तक
- **मंगल** - मिथुन ▪ **बुध** - मीन ▪ **गुरु** - वृषभ ▪ **शुक्र** - मीन
- **शनि** - कुंभ ▪ **राहु** - मीन ▪ **केतु** - कन्या

औरंगज़ेब की कब्र पर बुलडोजर चलेगा?

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग महाराष्ट्र में जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ महायुति के साथ ही विपक्ष के नेता भी क्रूर शासक की औरंगाबाद स्थित कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से 25 किमी दूर खुल्दाबाद में दफनाया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए, लेकिन यह कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में दे दिया था।

मुंबई में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा था, सभी लोग यह चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, लेकिन इसे कानून के दायरे में करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि कब्र का संरक्षण एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था और इसे हटाने या उसमें बदलाव करने के लिए भी कानून का पालन करना होगा। इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

फडणवीस का यह बयान राज्य में औरंगजेब की कब्र को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आया है। कई नेता और धार्मिक संगठन के साथ ही शिवाजी महाराज के वंशज भी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने भी छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की है।

इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर सीएम फडणवीस ऐसा करना चाहते हैं तो करें, उन्हें किसने रोका है। उनको औरंगजेब की कब्र कानून के मुताबिक हटाना है तो हटाइए। वह लगातार इसे हटाने की बात करते हैं लेकिन उनके बोलने और करने में अंतर दिखता है, क्योंकि बीजेपी बातें करके केवल मुद्दों को उठाती है। जब काम करने की बारी आती है तो वह मुंह छुपा लेते हैं।

औरंगजेब की कब्र हटाए जाने के सवाल पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि लोग कई साल से औरंगजेब की कब्र को सहन कर रहे है। और अब अबू आजमी ने क्रूर शासक की तारीफ कर लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। औरंगजेब के कब्र की जरूरत क्या है? जनभावना है कि जिसने हिंदुओं को तकलीफ दी, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे इंसान की कब्र को क्यों रखना चाहिए है और उस पर पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है। इतिहास के पन्नों से भी औरंगजेब का नाम मिटाना चाहिए।

रखरखाव पर लाखों रुपये खर्च!

हिंदू जनजागृति समिति ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। हिंदू संगठन की ओर से एक आरटीआई के तहत यह जानकारी सामने आई थी कि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 2011 से 2023 तक लगभग 6.5 लाख रुपये खर्च किए हैं। जबकि दूसरी ओर सिंधु दुर्ग किले पर स्थित राज राजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए साल भर में केवल 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

यह है राजकमल दास जी...

उत्तरप्रदेश के महापुरुष रामकमल दास जी से मिलिए। ये अपने मकान में 43 बेटों के साथ रहते हैं! अब तक आपने 2-4 या ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों वाले पिता देखे होंगे, मगर इनकी कहानी तो पौराणिक कथाओं को भी पीछे छोड़ दे। इनके 13 बेटे तो एक साथ पैदा हुए–सब 37 साल के! कुछ 35, 36 और 47 साल के भी हैं! बाकी के कुछ 48-49 के हैं! और ये सब डीएनए टेस्ट से साबित नहीं हुआ, बल्कि भारत के निष्पक्ष, कर्मठ और ईमानदार चुनाव आयोग ने प्रमाणित किया है।

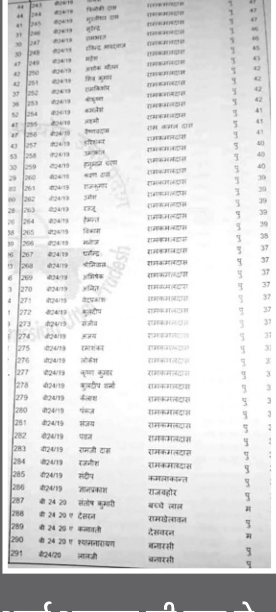

अपूर्व भारद्वाज की वाल से...

विधानसभा पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों का आक्रामक रूप दिखा है। कांग्रेस विधायकों ने छोटे सत्र को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही काले नकाब में विधानसभा पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनता के सवालों से मुंह छुपाती है।

बजट सत्र की हो गई है शुरुआत

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन से कांग्रेस विधायक आक्रामक हैं। सदन की अवधि कम होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक काला कपड़ा बांधकर सदन परिसर में पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने जाकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनता के सवालों से मुंह छुपा रही है। हम लोगों ने प्रतिकात्मक रूप से विरोध किया है।

राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 24 मार्च तक चलेगा, 15 दिवसीय सत्र में कुल नौ बैठकें होंगी। बजट सत्र की अवधि कम होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया।

छोटे बजट सत्र का विरोध

कांग्रेस विधायक सचिन यादव का कहना है कि राज्य की विधानसभा के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब बजट सत्र इतना छोटा है। यह कहीं न कहीं सरकार संदेश दे रही है कि जो जनता से जुड़े और गंभीर मुद्दे हैं, उनके अनदेखा कर रही है। इसके विरोध के प्रतीक के तौर पर काला नकाब पहनकर हम आए हैं। जनता को संदेश दे रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं और समस्याएं हैं, सरकार उनसे मुंह छुपाने का काम कर रही है।

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बजट सत्र की अवधि कम होने पर सवाल उठाए और कहा कि यह बहुत छोटा बजट सत्र है, इसमें आठ या नौ दिन की बैठकें ही होंगी। विधायक का जो अधिकार होता है, जैसे सभी विषयों पर विभागों की पूरी चर्चा हो, हमारे जो प्रश्न हैं, उनका जवाब मिले। इस तरह हमारे अधिकार का हनन किया गया है। इसी लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

20-25 दिन का हो सत्र

कांग्रेस चाहती है कि बजट सत्र 20 से 25 दिन का हो, मगर इसे सिर्फ नौ दिन का किया गया है। इस दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों, बजट पर चर्चा नहीं हो सकती। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना छोटा बजट सत्र हो रहा है।

फ्लाईओवर सिटी की ओर अग्रसर इंदौर

2 एलिवेटेड कॉरिडोर

मालवा मिल चौराहे से वाऊ होटल तक

पाटनीपुरा से न्यू देवास रोड तक

2 फ्लाईओवर ब्रिज

रसोमा चौराहा, रोबोट चौराहा रिंगरोड़

राइजिंग इन्दौर
■ विपिन नीमा

इंदौर। .... क्लीन सिटी , स्मार्ट सिटी..... ग्रीन सिटी.... मेट्रो सिटी.... के बाद अब फ्लाई ओवर सिटी की तैयारी.... । जी हां। शहर में वाहनों की संख्या और आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसको देखते हुए शहर को ज्यादा से ज्यादा फ्लाय ओवर देने की आवश्यकता है। शहर की ट्रेफिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से शहर को फ्लाय ओवर सिटी यानी हर तरफ ब्रिज बनाने होंगे। वर्तमान में शहर में कई जगह फ्लाय ओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए आईडीए व्दारा निजी कम्पनियों से सर्वे किए जा रहे है।

वर्तमान में फ्लाईओवर के चल रहे सर्वे तथा निर्माण के अलावा अब आईडीए, शहर के चार चौराहों पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड बनाने की संभावना तलाशने के लिए सर्वे करवा रहा है। इसके लिए उसने टैंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन चार चौराहों पर चार नए ब्रिज बनाने की योजना चल रही है उनमें मालवा मिल चौराहे से वाऊ होटल रसोमा तक तथा पाटनीपुरा से न्यू देवास रोड तक (दो जगह एलिवेटेड कॉरिडोर), रसोमा पर फ्लाई ओव्हर तथा रोबोट चौराहे रिंग रोड पर भी फ्लाई ओव्हर ब्रिज बनाना शामिल है। इन चारों चौराहों के लिए की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल फैसला बोर्ड बैठक में लिया जाएंगा। फिलहाल आईडीए ने सर्वे करवाने के टैंडर भी जारी कर दिए है।

शहर को जरूरत है फ्लाई ओवर सिटी बनाने की

जिस तरह से शहर बढ़ता और फैलता जा रहा है, जनसंख्या और वाहनों की संख्या में जिस गति से इजाफा हो रहा है उसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। शहर की आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए अब शहर में फ्लाई ओव्हर ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडर पास बनाने की बहुत जरुरत हो गई है। यानी स्वच्छता के नाम से पहचान बना चुना इंदौर शहर अब फ्लाई ओवर सिटी बनने की और बढ़ रहा है। आईडीए ने कुछ माह पहले ही शहर में एक साथ चार फ्लाई ओव्हर ब्रिज का लोकार्पण किया था। इसके बाद कुछ और ब्रिज निर्माणाधीन है, जिन पर तेजी से काम चल रहा है।

आईडीए ने तलाशे चार नए ब्रिज, सर्वे के लिए जारी हुए टेंडर

शहर का मालवा मिल काफी व्यस्त होने के साथ साथ यहां की ट्रेफिक व्यवस्था भी काफी अस्त - व्यस्त है। इस चौराहे से लेकर अगले चौराहे तक सुबह से लेकर रात वाहनों का जाम लगा रहता है। इस चौराहे की ट्रेफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आईडीए ने मालवा मिल चौराहे से वाऊ होटल रसोमा तक एलिवेटेड बनाने विचार कर रहा है।

इसी प्रकार श्रमिक क्षेत्र का एक और व्यस्त चौराहा पाटनीपुरा पर भी ब्रिज की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है। आईडीए ने पाटनीपुरा से न्यू देवास रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए टैंडर जारी किया है।

रसोमा चौराहे पर बढ़ते ट्रेफिक के दबाव को कम करने के लिए फ्लाई ओवर की संभावना तलाशी जा रही है।

पूर्वी क्षेत्र का सबसे व्यस्त रोबोट चौराहा रिंग रोड पर भी फ्लाई ओव्हर के लिए जगह तलाशी जाएगी।

वर्तमान में शहर में है 20 से भी ज्यादा फ्लाई ओव्हर ब्रिज

जानकारी के मुताबिक मप्र का इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा फ्लाई ओव्हर ब्रिज है। ताजे आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में शहर में 20 फ्लाई ओवर ब्रिज संचालित हो रहे है। इंदौर शहर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक है। ऐसे में इस शहर में यातायात का अधिक दबाव है। यातायात का दबाव अधिक होने की वजह से यहां पर जाम की भी समस्या रहती है। इसको देखते हुए इस शहर में अधिक फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की जरुरत है, जिससे यहां सड़क पर चलने वाले यातायात को सिग्नल फ्री किया जा सके। शहर की वर्तमान स्थिति यह है कि शहरी सीमा में करीब 40 लाख की आबादी पर 30 से 35 लाख वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड हैं। इनमें भी 25 लाख के आस पास टू व्हीलर, 6 लाख फोर व्हीलर, 25 हजार थ्री व्हीलर शहर में चल रहे हैं।

ऐसे बनेगी फ्लाई ओवर सिटी

» केंद्र सरकार से स्वीकृत ब्रिज - 14 एफओबी

» रेलवे विभाग - 5 आरओबी » नेशनल हाई-वे - 5 ब्रिज

» सेतु बंधन योजना के तहत - 4

» बीआरटीएस पर - पांच एफओबी

» शहर के 11 चौराहों पर - ब्रिज के लिए सर्वे जारी

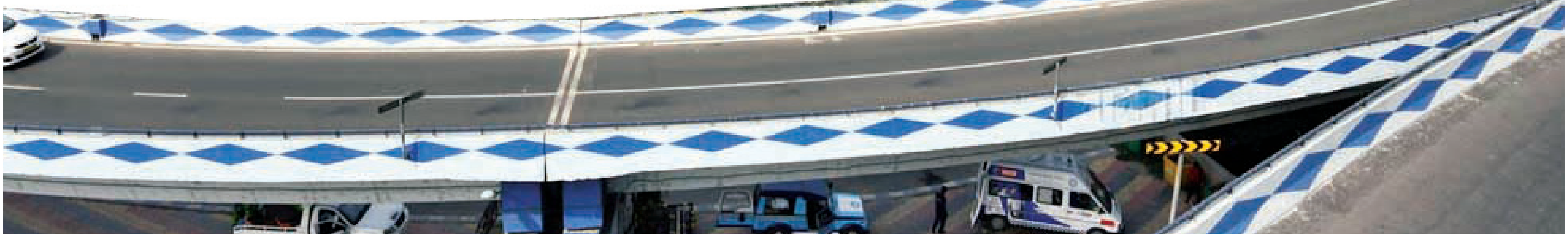

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।